

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक: पीएस / पीएचएस / 2009 / 455

दिनांक: 07-11-2009


9-11-09

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।


विषय:- इन्फ्लूएन्जा ए (H1N1) के संदिग्ध मरीजों के निदान हेतु सेम्पल लेने बाबत।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06-11-2009 को स्वाईन फ्लू इन्फ्लूएन्जा ए (H1N1) की समीक्षा बैठक के दौरान रोग के बचाव, नियंत्रण, रोकथाम एवं उपचार के बारे में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में निर्देशित किया जाता है कि सभी जिला चिकित्सालयों में स्वाईन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल लिये जावें तथा सेम्पल का Transportation प्रयोगशाला में कोरियर के माध्यम से नहीं किया जाकर व्यक्ति विशेष के साथ Viral Transportation Media के साथ Cold Chain Maintain करते हुये भिजवायें। संदिग्ध मरीजों के सेम्पल, मरीज की विस्तृत जानकारी सहित निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत लैबोरेटरी में भिजवाते हुये प्राप्ती रशीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें।

यदि आपके चिकित्सालय के फिजिशियन/पैथेलोजिस्ट चिकित्सकों एवं प्रयोगशाला सहायकों को इन्फ्लूएन्जा ए (H1N1) के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल लेने की पद्धति के बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो अपने क्षेत्र के मेडिकल कालेज में आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

  
( जी०एस० संधु )  
प्रमुख शासन सचिव,

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
  2. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
  3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, राजस्थान को भेज कर लेख है कि जिला अस्पतालों के चिकित्सकों एवं प्रयोगशाला सहायकों को सेम्पल कलेक्शन के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें।
  4. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कालेज अस्पताल, राजस्थान।
  5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर
  6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

  
( जी०एस० संधु )  
प्रमुख शासन सचिव,